-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तत्वाधान में बाल अपराधों की रोकथाम के संबंध में की गयी मासिक समीक्षा बैठक।**
- **बैठक में बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह आदि की रोकथाम हेतु निरन्तर अभियान चलाये जाने के संबंध में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, किशोर न्याय संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार बांदा में मानव तस्करी निरोधी इकाई (Anti-Human Trafficking Unit-AHTU) जनपद बांदा के तत्वाधान में मासिक समीक्षा बैठक की गयी जिसमें बालश्रम व बाल विवाह पर रोक लगाये जाने के संबंध में ग्रामीण व शहर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाये जाने एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ साथ पुलिस व अन्य सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं के परस्पर आपसी सहयोग के संबंध मे भी दिशा निर्देश दिए गये। मानव तस्करी निरोधी इकाई व SJPU-(Special Juvenile Police Unit विशेष किशोर पुलिस इकाई), किशोर न्याय संरक्षण बोर्ड को इस संबंध में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाने जाने हेतु निर्देशित किया गया | समीक्षा बैठक दौरान संयुक्त अभियोजन श्री वीरेन्द्र कुमार, बाल कल्याण समिति से विवेक त्रिपाठी, अम्बरीष कुमार, थाना प्रभारी एएचटीयू निरीक्षक अखिलेश प्रताप सिंह,, चिकित्सा विभाग से डॉ0 डी0सी0 दोहरे, वन स्टाप सेंटर प्रभारी श्रीमती रमा साहू, सहित जनपद के समस्त थानों, जीआरपी, एएचटीयू, एसजेपीयू तथा बाल कल्याण समिति के अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।